



(☎ 022-22862703)

ई-मेल/e-mail-irw@dae.gov.in

फैक्स/Fax No. - 2204 8476 &
2282 4354



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

परमाणु ऊर्जा विभाग

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

औ. सं. एवं क. अनुभाग

IR&W SECTION

अणुशक्ति भवन

Anushakti Bhavan,

छ. शि. म. मार्ग

C.S.M. Marg,

मुंबई/Mumbai - 400001

संदर्भ सं. Ref. No. 7/4/2012/आईआरएंडडब्ल्यू/IR&W/ 237

जुलाई/July 03, 2015

कार्यालय ज्ञापन/OFFICE MEMORANDUM

विषय : कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों के लिए सीएचएसएस सुविधा दिये जाने के संबंध में स्पष्टीकरण

Sub : Clarification in respect of extension of CHSS facility to family members of employees

कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों के लिए सीएचएसएस सुविधा दिये जाने के संदर्भ में सीएचएसएस नियम सं. 2.1.6 और पऊवि के दिनांक 06/11/2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. 7/5/2013/आईआरएंडडब्ल्यू/416 के तहत वर्तमान प्रावधान के संबंध में स्पष्टीकरण हेतु विभाग में पत्र प्राप्त हुये हैं।

References have been received in the Department inviting clarifications in respect of the existing provision under CHSS Rule No. 2.1.6 and DAE O.M. No. 7/5/2013/IR&W/416 dated 06/11/2013, regarding extension of CHSS facility to family members of employees.

2. सीएचएसएस नियम सं. 2.1.6 के अनुसार कर्मचारी के स्थानांतरण होने की स्थिति में उसके परिवार के सदस्यों को सीएचएसएस के तहत चिकित्सा सुविधा या तो नये हेड क्वार्टर में दी जा सकती है या वह पुराने हेड क्वार्टर में इस सुविधा का लाभ उठाना जारी रख सकते हैं बशर्ते कि कर्मचारी पहले की ही तरह अंशदान की दर का भुगतान कर रहा हो।

CHSS Rule no. 2.1.6 provides that medical facility under CHSS can be extended to family members of the employee, either at new HQ, where employee has been transferred or continue at old HQ, provided the employee continues to pay the contribution at the same rate as before.

3. इस संदर्भ में, यह स्पष्ट करना है कि जब कभी किसी कर्मचारी का दूसरे स्टेशन पर स्थानांतरण हो जाता है तथा वह अपने परिवार के लिए अपने पुराने हेड क्वार्टर में चिकित्सा सुविधाएं लेना जारी रखना चाहता/चाहती है, और तत्पश्चात् उसके नये हेड क्वार्टर से किसी अन्य दूसरे स्टेशन पर (पुराने हेड क्वार्टर से भिन्न) स्थानांतरण की दशा में भी वह अपने बच्चों की शिक्षा अथवा कुछ पारिवारिक समस्या आदि के कारण उसी स्थान पर (अर्थात् पुरानेसे पहले हेड क्वार्टर) सीएचएसएस चिकित्सा सुविधा लेना जारी रखना चाहता/चाहती हो तो ऐसी स्थिति में, ऐसे सभी मामलों पर सीएचएसएस के खंड सं. 2.1.6 के अनुसारही विचार करने की आवश्यकता है।

In this respect, it is to clarify that when any employee gets transferred to other station and prefers to continue the medical facilities for the family at old headquarter, subsequently, on his/her transfer to any other station from new HQ (other than old HQ), he/she still prefers to continue the CHSS medical facility at the same place (i.e. previous old HQ), due to continuation of children's education or some family problems etc., then all such cases need to be considered in accordance with CHSS clause no. 2.1.6 only.

4. तथापि, चिकित्सा सुविधा के बारंबार एवं आधारहीन बदलाव जैसे कि पुराने से पहले के अथवा नये से पहले के/पुराने पर विचार नहीं किया जाएगा।


However, frequent & unscrupulous shifting of medical facility may not be entertained, such as, older to old or new to old/older.

5. दिनांक 06/11/2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. 7/5/2013/IR&W/416 के अनुसार, उपरोक्त मामलों के अलावा अन्य मामलों में ऐसे सीएचएसएस प्रचालित स्टेशनों पर कर्मचारियों के बच्चों को सीएचएसएस चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा सकती है जो उक्त कर्मचारी का नया, पुराना अथवा पहले का/पुराना हेड क्वार्टर नहीं हो और इस प्रकार से इस कार्यालय ज्ञापन को जारी करते हुए विभाग ने 'केवल उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चे को ही' दी जाने वाली चिकित्सा सुविधा के बारे में पहले के निर्बंधन को वास्तविक रूप में हटा दिया है।

As per the O.M. No. 7/5/2013/IR&W/416 dated 06/11/2013, in cases other than the above mentioned cases, CHSS medical facility can be extended to children, at such CHSS operating stations, which is neither new, old or older HQ of the employee and by issuing this O.M., Department has actually taken out the earlier restriction of extending the facility 'only to those children, who are pursuing higher education'.

6. यह स्पष्टीकरण सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This clarification is issued with the approval of the Competent Authority.


(स्वाति पाण्डेय Swati Pandey)
निदेशक (आईआरएंडडब्ल्यू) Director (IR&W)

सभी सीएचएसएस के प्रशासनिक प्राधिकारी /All CHSS Administering Authorities :

- (1) निदेशक, भापअकेंद्र, मुंबई Director, BARC, Mumbai
- (2) निदेशक, आईजीकार, कलपाक्कम Director, IGCAR, Kalpakkam
- (3) निदेशक, जीएसओ, कलपाक्कम Director, GSO, Kalpakkam
- (4) मुख्य कार्यकारी, भापाबो, मुंबई Chief Executive, HWB, Mumbai
- (5) मुख्य कार्यकारी, एनएफसी, हैदराबाद Chief Executive, NFC, Hyderabad
- (6) निदेशक, आरआरकैट Director, RRCAT
- (7) निदेशक, वीईसीसी Director, VECC
- (8) निदेशक, एएमडी, हैदरबाद Director, AMD, Hyderabad
- (9) स्टेशन निदेशक, आरएपीएस, कोटा Station Director, RAPS, Kota
- (10) स्टेशन निदेशक, टीएपीएस, तारापुर Station Director, TAPS, Tarapur
- (11) निदेशक (एचआर), एनपीसीआईएल, मुंबई Director (HR), NPCIL, Mumbai
- (12) प्रधान, चिकित्सा प्रभाग, भापअकेंद्र Head, Medical Division, BARC
- (13) मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पऊवि अस्पताल, कलपाक्कम
Chief Medical Officer, DAE Hospital Kalpakkam

Copy to :

- (1) इकाइयों के सभी प्रधान All Heads of Units
- (2) इकाइयों के सभी प्रशासनिक प्रधान All Administrative Heads of Units
- (3) अध्यक्ष, पऊआ तथा सचिव, पऊवि का कार्यालय O/o chairman, AEC, Secretary, DAE
- (4) अपर सचिव के निजी सचिव, पऊवि PS to AS, DAE
- (5) निदेशक, आईएमएससी Director, I.M.Sc.
- (6) सचिव, कर्मचारी पक्ष, विभागीय परिषद Secretary, Staff Side, DC
- (7) महासचिव, एनएफएईई General Secretary, NFAEE
- (8) प्रशासनिक अधिकारी-III, भापअकेंद्र अस्पताल, भापअकेंद्र AO-III, BARC Hospital, BARC
- (9) सहायक निदेशक (राजभाषा), पऊवि Asst. Director (OL), DAE